

सेवा में

श्रीमान

.....

विषय- बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय विद्यालय 50 से कम छात्र संख्या के आधार विद्यालय मर्ज (विलय) का आदेश है उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के संदर्भ में।

महोदय

सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी ग्राम.....
पोस्ट..... थाना..... जिला..... का निवासी है। प्रार्थी का
पुत्र/ पुत्री कक्षा..... में प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालय.....
(UDISE.....) क्षेत्र..... जनपद में अध्ययनरत है।

महोदय अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन पत्रांक - 68-5099/328/2025-अनुभाग-5 (बेसिक शिक्षा)-Basic Education Department, दिनांक 16 जून 2025 के क्रम में जनपद स्तर के बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा छात्र संख्या 50 से कम विद्यालयों को नजदीकी विद्यालय में विलय करने की कार्यवाही गतिमान है।

महोदय जैसा कि उक्त विद्यालयों में आर्थिक रूप से गरीब, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चे अध्ययनरत है, एवम भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 क मौलिक शिक्षा का अधिकार एवम आरटीई 2009 के अनुसार 06 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क बुनियादी शिक्षा का प्रावधान है।

अनुच्छेद 26 में दिव्यांग छात्रों के लिए अनिवार्य शिक्षा एवम समय समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न आदेशों में इसे पूर्ण रूप से लागू करने का आदेश भी पारित किया है।

महोदय विद्यालय का विलय करना सीधे सीधे गरीब नौनिहालों को शिक्षा की मुख्य धारा से दूर करना होगा, क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक का विद्यार्थी एवम दिव्यांग छात्र पैदल 2 से 3 KM का सफर ग्रामीण दुर्गम मार्गों पर चलकर कैसे दूसरे विद्यालय तक शिक्षा ग्रहण करने पहुंचेगा।

इस आदेश से सम्पूर्ण जनमानस में रोष व्याप्त है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त आदेश को सम्पूर्ण ग्रामीण जनमानस के हितार्थ तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का कष्ट करें।

इस कार्य हेतु समस्त अभिभावक आपके सदैव आभारी रहेंगे।

दिनांक -

प्रार्थीगण

नाम

पिता का नाम

पता

ग्राम सभा के प्रभावित समस्त छात्रों व अभिभावक का विवरण

[illegible]